

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/स्था/अराज/एमसी/2022

रीवा, दिनांक

आदेश

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्र. 19963/स्था/अराज/एमसी/2021, रीवा, दिनांक 15.09.2021 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संबद्ध चिकित्सालय में गैर शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत अस्पताल प्रबंधन के लिए रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एम.पी. ऑनलाइन द्वारा आयोजित परीक्षा दिनांक 18.11.2021 के परिणाम एवं दिनांक 03.01.2022 को आयोजित मूल अभिलेखों के परीक्षण उपरांत तथा दिनांक 07.02.2022 को चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित उपयुक्त पाये गये उम्मीदवार को प्रवीण्यता के क्रम में चयनित करते हुए अस्पताल प्रबंधक के पद पर एकमुश्त मासिक वेतन **रु. 60,000/-** प्रति माह एवं दो प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ सी.पी.आई. के मान से होने वाली वृद्धि के आधार पर अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान कर स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी
1.	प्रियंका पंचोली, पिता श्री के.जी. पंचोली	एस-2, अभिनव कीर्ति होम्स, अयोध्या बायपास रोड, भोपाल, म.प्र., पिन-462021	अनारक्षित

नियुक्ति की शर्त:-

1. आदेश जारी होने के दिनांक से **15 दिवस** के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018" के अनुसार चयनित व्यक्ति को 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
5. सेवायें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
6. नियुक्त व्यक्ति "म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965" एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018" के अधीन शासित होंगे।
7. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
8. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।

क्रमशः पेज-02

9. नियुक्त व्यक्ति को 50/-रूपये के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
10. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
11. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।

नोट:- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) अनुसार आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

पृ.क्र. 4572-79/स्था/अराज/एमसी/2022,

रीवा, दिनांक 23/2/2022

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
4. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा।
6. कार्यालय लेखाशाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की ओर लेख है कि, संबंधित का वेतन भुगतान मांग संख्या 52 - 2210 - 01 - 110 - 1353 - 0101 - 42 -002 (सहायक अनुदान मद) में विकलनीय होगा।
7. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु. 4/- का ट्रेजरी चालान हेड-0210-03-200-0000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

HOSPITAL MANAGER – ROLES & RESPONSIBILITIES

1. Supervising daily administrative operations in hospitals.
2. Monitoring expenses and suggest cost-effective alternatives.
3. Create quarterly and annual budgets with assistance from account officer & financial expert.
4. Develop and implement effective policies for all operational procedures.
5. Prepare work schedules.
6. Monitor administrative staff's performance.
7. Train all new employees.
8. Ensure prompt ordering and stocking of medical and office supplies.
9. Answer queries from doctors, nurses and healthcare staff.
10. Resolve potential issues with patients.
11. Stay up-to date with healthcare regulations.
12. Set budget and departmental goals.
13. Strategize to improve efficiency and quality of care.
14. Oversee finances such as patient fees, billing, and fund raising.
15. Communicate effectively with departments and staff regularly.
16. Educate the community on important health topics.
17. To ensure that all the documentation related to patients is safely stored.
18. To ensure that all the surgical instruments in hospitals are sterilized according to the norms. Records of sterilization should be checked and signed at the CSSD.
19. Supervision of inventory keeping.
20. Prepare work schedules for class III, IV and contractual employees under superintendent.
21. Responsibility of up keep of Hygiene and sanitation including waste management.

R

22. Assist Deputy Registrar in implementation of HMIS in Medical College and Hospital.
23. Act as Liaisoning agent between government bodies medical staff and integrate activities of all departments. Liaise and network with other government department e.g. PWD for smooth functioning of the hospital.
24. Responsible for execution of Ayushman Yojna in MGH
25. Responsible for Liaisoning with PWD/outsource agency. Ensure serviceability of lift and generator round the clock.
26. Any other job assigned by the Superintendent form time to time.



Commissioner

Medical Education